राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या 1461/2009/बीकानेर

श्री शिवकुमार पुत्र श्री बनवारीलाल,
जति–सोनी, निवासी–श्रीगंगानगर,
तहसील व जिला–श्रीगंगानगर। .....प्रार्थी

बनाम्

1–उप पंजीयक, जिला–बीकानेर।
2–श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, पुत्र स्व.श्री राधेश्याम शर्मा,
जति–ब्राहम्ण, निवासी–10/146, चित्रकूट स्कीम,
अजमेर रोड, जयपुर। .....अप्रार्थी

निगरानी संख्या 1462/2009/बीकानेर

श्री गुरूदीप सिंह, पुत्र श्री महेन्द्र सिंह,
जति–जटसिख, निवासी–मान मार्केट,
हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला–हनुमानगढ़। .....प्रार्थी

बनाम्

1–उप पंजीयक, जिला–बीकानेर।
2–श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, पुत्र स्व.श्री राधेश्याम शर्मा,
जति–ब्राहम्ण, निवासी–10/146, चित्रकूट स्कीम,
अजमेर रोड, जयपुर। .....अप्रार्थी

निगरानी संख्या 1463/2009/बीकानेर

श्री गणेशराज बंसल, पुत्र श्री रामप्रसाद बंसल,
जति–अग्रवाल, निवासी–आई–273, सिविल लाईन्स,
हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला–हनुमानगढ़। .....प्रार्थी

बनाम्

1–उप पंजीयक, जिला–बीकानेर।
2–श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, पुत्र स्व.श्री राधेश्याम शर्मा,
जति–ब्राहम्ण, निवासी–10/146, चित्रकूट स्कीम,
अजमेर रोड, जयपुर। .....अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित ::

श्री पवन सिंह,
अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अधिवक्ता, ...अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से
अनुपस्थित। .....अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से

दिनांक : 05.06.2015

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा यह तीनों निगरानियां राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 65 के तहत् कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त–बीकानेर (जिसे आगे "कलक्टर" कहा जायेगा) के द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक 25.02.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जो क्रमशः प्रकरण संख्या 64/2008, 63/2008 व 68/2008 के संबंध में है तथा जिसमें प्रार्थीगण ने विद्वान् "कलक्टर" द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2009

लगातार.....2

को चुनौती दी है।

चूंकि तीनों प्रकरणों के तथ्य व विवादित बिन्दु समान हैं। अतः दोनों प्रकरणों का निर्णय संयुक्तादेश से पारित किया जा रहा है । निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक् से रखी जा रही है।

निगरानी संख्या 1461/2009/बीकानेर के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि बिनानी ट्रस्ट की अचल सम्पति कमांक 675 वाके, अलख सागर कुंए के पास, बीकानेर बिनानी बिल्डिंग के नाम से स्थित है। प्रश्नगत सम्पति का मूल पट्टा सेठ गोरधनदास बिनानी पुत्र श्री मथुरादास बिनानी के नाम जारी है, जिसका कुल क्षेत्रफल तादादी 7199टीटीटी वर्गगज (2X2) है एवम् उक्त पट्टा नम्बर 105 दिनांक 11.12.1950, कमांक 123 दिनांक 23.05.1953 को रेवेन्यु क़मिश्नर, बीकानेर द्वारा सेठ गोरधनदास के हक में जारी किया गया है। सेठ गोरधनदास की मृत्यु के बाद उनके एकमात्र वारिस सेठ घनश्याम दास बिनानी के नाम सम्पति स्थानान्तरित हो गई। सेठ घनश्याम दास बिनानी द्वारा प्रश्नगत सम्पति को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 19.08.1981 के बिनानी ट्रस्ट को विक्रय कर दी गयी। बिनानी ट्रस्ट के वर्तमान ट्रस्टीगण ने श्री कृष्णगोपाल शर्मा पुत्र स्व.श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी–10/146 चित्रकूट स्कीम, अजमेर रोड़ के पास, जयपुर को जरिये मुख्यतारनामा के विक्रय विलेख के लिए अधिकृत किया हुआ है। प्रार्थी ने बिनानी ट्रस्ट की सम्पति में से एक हिस्सा जिसे नक्शे में "एम" से अंकित किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1062 वर्गफुट है, जो मुख्य सड़क पर नहीं होकर अंदर की छोटी गली में खुलता है एवम् जिसमें भूतल पर छोटे–छोटे कमरे जो लगभग 50–60 वर्ष पुराने बने हुये हैं, को प्रार्थी ने श्री कृष्णगोपाल शर्मा से रू.1,00,000/– में बिनानी ट्रस्ट का हिस्सा दिनांक 30.01.2008 को क्रय कर, निष्पादित दस्तावेज वास्ते पंजीयन उप पंजीयक, बीकानेर (जिसे आगे "उप–पंजीयक" कहा जायेगा) के समक्ष दिनांक 30.12.2008 को प्रस्तुत किया गया। उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रश्नगत सम्पति की मालियत तद्नुसार निर्धारित कर, प्रार्थी से मुद्रांक कर रू.33,340/– तथा पंजीयन शुल्क रू. 5,130/– प्रार्थी से वसूल कर, दस्तावेज को पंजीकृत कर प्रार्थी क्रेता को लौटा दिया गया। तत्पश्चात, उप–पंजीयक द्वारा दस्तावेज को कमी मालियत का मानते हुए बिक्रीत सम्पत्ति की मालियत रू.14,14,860/– होना अवधारित कर, तद्नुसार मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क वसूली होना प्रस्तावित कर, "रेफरेन्स" कलक्टर को प्रेषित किया गया। कलक्टर द्वारा निगरानी अधीन आदेश दिनांक 25.02.2009 से प्रस्तुत "रेफरेन्स" स्वीकार किया गया। कलक्टर के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

निगरानी संख्या 1462/2009/बीकानेर के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि बिनानी ट्रस्ट की अचल सम्पति कमांक 675 वाके, अलख सागर कुंए के

लगातार.....3

पास, बीकानेर बिनानी बिल्डिंग के नाम से स्थित है। प्रश्नगत सम्पति का मूल पट्टा सेठ गोरधनदास बिनानी पुत्र श्री मथुरादास बिनानी के नाम जारी है, जिसका कुल क्षेत्रफल तादादी 7199टीटीटी वर्गगज (2X2) है एवम् उक्त पट्टा नम्बर 105 दिनांक 11.12.1950, कमांक 123 दिनांक 23.05.1953 को रेवेन्यु कमिश्नर, बीकानेर द्वारा सेठ गोरधनदास के हक में जारी किया गया है। सेठ गोरधनदास की मृत्यु के बाद उनके एकमात्र वारिस सेठ घनश्याम दास बिनानी के नाम सम्पति स्थानान्तरित हो गई। सेठ घनश्याम दास बिनानी द्वारा प्रश्नगत सम्पति को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 19.08.1981 के बिनानी ट्रस्ट को विक्रय कर दी गयी। बिनानी ट्रस्ट के वर्तमान ट्रस्टीगण ने श्री कृष्णगोपाल शर्मा पुत्र स्व.श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी–10/146 चित्रकूट स्कीम, अजमेर रोड के पास, जयपुर को जरिये मुख्यतारानाम के विक्रय विलेख के लिए अधिकृत किया हुआ है। प्रार्थी ने बिनानी ट्रस्ट की सम्पति में से एक हिस्सा जिसे नक्शे में "क्यू–1" व "क्यू–2" से अंकित किया गया हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 1290 वर्गफुट है, जो मुख्य संड़क पर नहीं होकर अंदर की छोटी गली में खुलता है एवम् जिसमें भूतल पर छोटे–छोटे कमरे जो लगभग 50–60 वर्ष पुराने बने हुये हैं तथा प्रथम तल पर टूटा हुआ व जर्जर अवस्था में बरामदर है, को प्रार्थी ने श्री कृष्णगोपाल शर्मा से रू.4,00,000/– में बिनानी ट्रस्ट का हिस्सा दिनांक 30.01.2008 को क्रय कर, निष्पादित दस्तावेज वास्ते पंजीयन उप पंजीयक, बीकानेर (जिसे आगे "उप–पंजीयक" कहा जायेगा) के समक्ष दिनांक 30.12.2008 को प्रस्तुत किया गया। उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रश्नगत सम्पति की मालियत तद्नुसार निर्धारित कर, प्रार्थी से मुद्रांक कर रू.1,54,660/– तथा पंजीयन शुल्क रू. 2,380/– प्रार्थी से वसूल कर, दस्तावेज को पंजीकृत कर प्रार्थी क्रेता को लौटा दिया गया। तत्पश्चात, उप–पंजीयक द्वारा दस्तावेज को कंमी मालियत का मानते हुए बिक्रीत सम्पत्ति की मालियत रू.34,48,895/– होना अवधारित कर, तद्नुसार मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क वसूली होना प्रस्तावित कर "रेफरेन्स" कलक्टर को प्रेषित किया गया। कलक्टर द्वारा निगरानी अधीन आदेश दिनांक 25.02.2009 से प्रस्तुत "रेफरेन्स" स्वीकार किया गया। कलक्टर के उक्त आदेशों से व्यथित होकर यह निगरानियां प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

निगरानी संख्या 1463/2009/बीकानेर के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि बिनानी ट्रस्ट की अचल सम्पति कमांक 675 वाके, अलख सागर कुंए के पास, बीकानेर बिनानी बिल्डिंग के नाम से स्थित है। प्रश्नगत सम्पति का मूल पट्टा सेठ गोरधनदास बिनानी पुत्र श्री मथुरादास बिनानी के नाम जारी है, जिसका कुल क्षेत्रफल तादादी 7199टीटीटी वर्गगज (2X2) है एवम् उक्त पट्टा नम्बर 105 दिनांक 11.12.1950, कमांक 123 दिनांक 23.05.1953 को रेवेन्यु कमिश्नर बीकानेर द्वारा सेठ गोरधनदास के हक में जारी किया गया है। सेठ

लगातार.....4

गोरधनदास की मृत्यु के बाद उनके एकमात्र वारिस सेठ घनश्याम दास बिनानी के नाम सम्पति स्थानान्तरित हो गई। सेठ घनश्याम दास बिनानी द्वारा प्रश्नगत सम्पति को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 19.08.1981 के बिनानी ट्रस्ट को विक्रय कर दी गयी। बिनानी ट्रस्ट के वर्तमान ट्रस्टीगण ने श्री कृष्णगोपाल शर्मा पुत्र स्व.श्री राधेश्याम शर्मा, निवासी–10/146 चित्रकूट स्कीम, अजमेर रोड के पास, जयपुर को जरिये मुख्यताराम के विक्रय विलेख के लिए अधिकृत किया हुआ है। प्रार्थी ने बिनानी ट्रस्ट की सम्पति में से एक हिस्सा जिसे नक्शे में "जी–1" से अंकित किया गया है, जी–276 वर्गफुट व जी–1 134440.98 जिसका कुल क्षेत्रफल 13716.98 वर्गफुट है, जो बिनानी ट्रस्ट के मध्य अंश का भाग है, जी–मार्क का दरवाजा उत्तर दिशा की ओर खुलता है, जो 12 फुट चौड़ा व 23 फुट लम्बा एवम बीच की खाली जगह जो 13440.98 वर्गफुट कुल 13716.98 वर्गफुट है, को प्रार्थी ने श्री कृष्णगोपाल शर्मा से रू. 14,00,000/– में बिनानी ट्रस्ट का हिस्सा दिनांक 30.01.2008 को क्रय कर, निष्पादित दस्तावेज वास्ते पंजीयन उप पंजीयक, बीकानेर (जिसे आगे "उप–पंजीयक" कहा जायेगा) के समक्ष दिनांक 30.12.2008 को प्रस्तुत किया गया। उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रश्नगत सम्पति की मालियत तद्नसार निर्धारित कर, प्रार्थी से मुद्रांक कर रू.2,94,230/– तथा पंजीयन शुल्क रू.25,000/– प्रार्थी से वसूल कर, दस्तावेज को पंजीकृत कर प्रार्थी क्रेता को लौटा दिया गया। तत्पश्चात, उप–पंजीयक द्वारा दस्तावेज को कमी मालियत का मानते हुए बिक्रीत सम्पत्ति की मालियत रू.67,89,905/– होना अवधारित कर, तद्नुसार मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क वसूली होना प्रस्तावित कर, "रेफरेन्स" कलक्टर को प्रेषित किया गया। कलक्टर द्वारा निगरानी अधीन आदेश दिनांक 25.02.2009 से प्रस्तुत "रेफरेन्स" स्वीकार किया गया। कलक्टर के उक्त आदेशों से व्यथित होकर यह निगरानियां प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई हैं।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कलक्टर द्वारा पारित आदेशों को अविधिक होने का कथन कर, विद्वान कलक्टर द्वारा उप–पंजीयक द्वारा प्रेषित दोनों "रेफ्रेन्स" को तद्नुसार बिना संचेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल किये ही स्वीकार किया गया है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि प्रश्नगत सम्पतियों की मालियत विद्वान कलक्टर द्वारा पारित पृथक्–पृथक् आदेश दिनांक 25.02.2009 में क्रमशः रू.70,000/– व रू. 75,000/– अधिक आंकी गयी है जिसका कोई ठोस आधार पारित आदेश में नहीं दिया गया है, जिसके आधार पर पारित आदेश "स्पष्ट आदेश" (Speaking Order) की श्रेणी में नहीं आता है। कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा किसी भी रूप से मुद्रांक कर नहीं बचाया गया है तथा प्रार्थीगण द्वारा वास्तव में प्रश्नगत सम्पतियों की मालियत अनुसार विधि के प्रावधानों के तहत सही मुद्रांक कर

लगातार.....5

अदा किया गया है ।

विशिष्ट रूप से कथन किया कि उपपंजीयक द्वारा उक्त अचल सम्पितयों के संबंध में जो विक्रय विलेख निषपादित किया गया उस समय उपपंजीयक को इस आशय का निवेदन भी किया कि क्रयशुदा अचल सम्पितयों में स्थित निर्माण लगभग 50–60 वर्ष पुराना है जो काफी जर्जर अवस्था में है। इसलिए मुद्रांक अधिनियम के तहत् प्रावधानानुसार निर्माण पर डेप्रीशिएशन दिया जाकर मुद्रांक कर वसूल किया जाये। परन्तु उपपंजीयक द्वारा व विद्वान कलक्टर द्वारा उक्त तथ्य पर गौर किये बिना और प्रार्थीगण को डेप्रीसिएान का लाभ दिये बिना प्रार्थीगण से नये निर्माण के आधार पर मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क वसूल की गई जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। कथन किया कि उप–पंजयक द्वारा किरायेदारों की शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज किया है एवम् उपपंजीयक ने उक्त अचल सम्पियों का मौका–मुआयना किये बिना दुर्भावनापूर्ण आशय से प्रार्थीगण के विरूद्ध "रेफ्रेन्स" दर्ज किये गये हैं। कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा क्रयशुदा सम्पितयों मुख्य रोड़ पर नही होकर पीछे की गली में अवस्थित है जिसको नजर अन्दाज कर प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित कर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी भूल की है। अतः निगराधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अपने उक्त तर्कों व तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर प्रस्तुत निगरानियों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि प्रार्थना पत्रों के साथ प्रस्तुत लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्रों एवं शपथ पत्रों में विलम्ब के कारणों का विस्तृत उल्लेख किया जा चुका है। उक्त कारण पर्याप्त एवं संतोषप्रद होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने विद्वान कलक्टर द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, कथन किया कि अधिनियम के प्रावधानानुसार पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं चैकलिस्ट में अंकित तथ्यों के अनुसार निर्धारित दरों से संपति का मूल्याकन कर, बाद पंजीयन दस्तावेज लौटा दिया गया। इसके पश्चात रैण्डम पद्धति से मौका निरीक्षण करने पर वास्तवित तथ्यों में भिन्नता पायी गयी। पक्षकारों ने संपति आवासीय उपयोग की अंकित की है जबकि वर्णित सम्पति का मौका निरीक्षण करने पर सम्पति साईड रोड़ पर वाणिज्यिक (बैंक का हिस्सा) उपयोग की जिसमें 1062 व 2580 वर्गफुट पट्टीपोश एवं बालकॉनी 171 वर्गफुट लगभग 40–45 वर्ष पुराना पाया गया है। संपति वाणिज्यिक उपयोग की है एवं निर्माण क्षेत्र भी कम बताया गया है। इस क्षेत्र में व्यवसायिक भूमि की दर साईड रोड़ पर रू. 1,200/–, पट्टपोश निर्माण के लिये विभागीय दर रू.200/– प्रतिवर्गफुट निर्धारित होने के कारण कुल संपति की मालियत क्रमशः रू.14,14,860/– व रू.34,48,895/– उचित मानी जाकर, तदनुसार मुद्रांक कर व पंजीयन शुल्क वसूली हेतू संबंधी आदेश पारित किये गये है। अतः अपने उक्त तर्कों के

लगातार.....6

आधार पर विद्वान कलक्टर द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि कर, प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानियों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से बावजूद सूचना कोई उपस्थित नहीं हैं। अतः उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा रहा है।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानियों के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्रों एवं शपथ पत्रों के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए निगरानियां अन्दर मियाद स्वीकार की जाती हैं। जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, हस्तगत प्रकरणों में निर्णय से पूर्व यह अवधारित करना आवश्यक है कि क्या विद्वान कलक्टर द्वारा प्रश्नगत सम्पितयों का स्वयं मौका निरीक्षण किया गया है। इस सबंध में रिकॉर्ड पत्रावलियों पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि कलक्टर द्वारा प्रश्नगत सम्पितयों का स्वयं मौका निरीक्षण किया गया है, जबकि पारित आदेशों में विद्वान कलक्टर द्वारा यह अंकित किया गया है कि "वर्णित संपति का मौका निरीक्षण करने पर संपति वाणिज्यिक उपयोग की पायी गयी।" उक्त की पुष्टि रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से नहीं होती हैं। इस संबंध में राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के विधिक प्रावधान निम्नानुसार है:–

<u>नियम 65:–Procedure to be followed by the Collector in cases of under valued instruments.-</u> (1) On receipt of a reference under sub section (1) or sub section (2) of section 51 of the Act from the Registering officer, the Collector shall issue a notice to the person liable to pay the duty informing him of the receipt of the reference and asking to show that market value of property has been truly setforth in the instrument and also produce all evidence that he has in support of his representation within 21 days from the date of service of the notice.

(2) On receipt of a reference under sub section (4) of section 51 of the Act or where the Collector proposed to take action suo moto under sub section (5) of section 51 of the Act, the Collector shall issue a notice-

(a) to every person by whom ; and

(b) to every person in whose favour, the instrument has been

executed asking him to produce the original instrument and to show cause within 21 days from the service of the notice as to why he should not proceed to determine the correct market value of the property and realize the deficiency

लगातार.....7

duty together with penalty under section 51 of the Act, where the original instrument is not produced within the above period of 21 days, the Collector may proceed to determine the correct market value on the copy of the instrument.

(3) After expiry of 21 days from the service of notice, Collector shall summarily examine the matter, and if he thinks fit may record a statement of any person to whom a notice under sub- rule(1) and (2) has been issued.

(4) The Collector may for the purpose of enquiry-

(i) Look into corresponding rates as recommended by the District Level Committee and the rates approved by the Inspector General of Stamps.

(ii) Call for any information or record from any public office, officer or authority under the Government or the Local Authority.

(iii) examine and record statement of any member of the public, officer or authority under the Government or the Local Authority.

(5)The Collector shall-

(i) after considering the objections and representation received in writing from the person to whom notice under sub rule (1) & (2) has been issued;

(ii) after examing the records produced before him;

(iii)after a careful consideration of all the relevant factors and evidence placed before him, and

(iv)after considearation the corresponding rates as recommended by the DLC and the rates approved by the Inspector General of Stamps pass an order determining the market value of the property and duty payable on the instrument and the steps to collect the difference in the amoung of stamp duty alongwith penalty, if any.

(6) The summary enquiry shall be completed within a period of 3 months.

(7)A copy of the order shall be forwarded to the Inspector General of Stamps within 15 days from the date of order.

अतः प्रथम दृष्टया यही माना जा सकता है कि कलक्टर द्वारा निगरानी अधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के विधिक प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है। पत्रावलियों में

लगातार..... 8

उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है किं प्रश्नगत सम्पत्ति का मौका मुआयना नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रकरणों की उपरोक्त परिस्थिति में प्रकरण कलक्टर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि उनके द्वारा मुद्रांक नियम 65 के प्रावधानों की पालना करते हुए प्रश्नगत सम्पत्तियों का स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया जाकर एवं बिक्रीत सम्पत्ति के क्रेता/विक्रेता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर प्रश्नगत सम्पत्तियों की मालियत निर्धारित किये जाने का विधिसम्मत आदेश पुनः पारित किया जावे।

परिणामतः प्रार्थीगण की निगरानियां स्वीकार की जाकर तीनों प्रकरण उपरोक्त निर्देशानुसार कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रतिप्रेषित किये जाते हैं।

निर्णय प्रसारित किया गया।

5.6.2015

(मदन लाल)

सदस्य